शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

किन्नौर में प्रचलित बहुपति प्रथा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

सपना (शोधार्थी)
हिन्दी विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़, भारत

शोध संक्षेप

प्रस्तुत शोध पत्र प्राचीन पारम्परिक प्रथा को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है और किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति जनजातीय जिलों की श्रेणी में आते हैं। इन जिलों में आज भी कई प्रकार कीप्राचीन परम्पराएं प्रचलित हैं। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं जिसका प्रभाव यहां के समाज , संस्कृति एवं धार्मिक जीवन पर दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न प्रचलित प्रथाओं में एक है- बहुपति प्रथा। उक्त शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य इस प्रथा के ऐतिहासिक धरातल से सम्बद्ध कर वर्तमान परिदृश्य में विमर्श करना है।

प्रस्तावना

सृष्टि योजना में नारी का स्थान पुरुष की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण है इसी कारण वह जगत की पूजनीय है। नारी की सहज कोमलता , मनोहरता और उदारता ने उसे देवी का स्थान दिलाया है। आदिकाल से ही नारी पुरुष की सहयोगिनी रही है। ईश्वरीय सृजन का निर्वहण करने के लिए जितना उत्तरदायित्व पुरुष के विशाल कन्धों पर है उतना ही नारी के कन्धों पर भी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भी अनेक प्रथाएं प्रचलित थीं उनमें से एक प्रथा बहुपति प्रथा भी रही है।

बहुपति का अर्थ है

एक ही स्त्री के एक से अधिक पति होना। ...."इस प्रथा का मूल लोग महाभारत काल में ढूंढते हैं कि पांच पाण्डवों की एक पत्नी (द्रौपदी) थी। इस प्रथा के अनुसार सबसे बड़ा भाई लड़की से 'झाझरा शादी ' करता है और शेष भाई स्वयमेव ही उसके पति माने जाते हैं।" ऐसा माना जाता है कि पाण्डवों ने अज्ञातवास का कुछ समय किन्नौर में बिताया था। यहां के निवासी पाण्डवों को अपना देवता मानते थे जो उनके लिए पूजनीय थे। उनका यह मानना था कि जब उनके देवता (पांच पाण्डव भाई) एक पत्नी के साथ जीवन बिता सकते हैं तो उनके लिए भी बहुपति विवाह कोई गलत नहीं है। उस समय इस प्रथा को बुरा नहीं समझा जाता था।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र प्रदेश के लोक साहित्य की मान्यता एवं प्रचलित परम्पराओं और रूढ़ियों को दर्शाता है। बहुपति प्रथा पर विमर्श के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते उक्त शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि को अपना कर सामग्री एकत्रित की गई है।

बहुपति प्रथा एवं विभिन्न मान्यताएं

प्रारम्भ में इस तरह के विवाह परिवार के सदस्यों की इच्छा से होता था और लड़की परिवार वालों के फैसले को ही अन्तिम मानकर शादी कर लेती

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

थी। उस समय इस तरह के विवाह लगभग सभी घरों में देखने को मिलता था। इसका पहला कारण यह था कि उस समय के लोगों की मान्यता थी कि इससे घर टूटने से बच जाता है, यानि घर में बिखराव नहीं आता। सभी सदस्य एक साथ एक छत के नीचे प्रेमपूर्वक रहते थे। ...स्त्री को निष्पक्ष होकर सभी पतियों से एक जैसा व्यवहार करना पड़ता था और इस प्रकार की शादी की सफलता भी स्त्री के निष्पक्ष व्यवहार पर निर्भर करती थी। इस प्रथा के समर्थक यह मानते हैं कि इससे बच्चों की संख्या पर पर्याप्त नियंत्रण रहता है, परिवार में विभाजन नहीं होता है और इकट्ठे परिवार में रहने से परिवार की आर्थिक दशा भी ठीक रहती है।" दूसरा कारण था कृषि योग्य भूमि का कम होना। भूमि के उप-विभाजन और विखण्डन को रोकने के लिए भी इस प्रथा को अपनाया गया होगा। तीसरा कारण माना जाता है कि "आजीविका के साधन सीमित थे इसलिए साधनों का अधिकतम प्रयोग आवश्यक था। एक भाई भूमि जोत सकता था, दूसरा व्यापार कर सकता था और तीसरा पशु पालन कर सकता था। अतः एक ही परिवार का हिस्सा रहने के कारण आय बंटती नहीं थी। " इस प्रथा के पीछे और भी मान्यताएं रही हैं। शिक्षित न होने के कारण भी लोग इस तरह की प्रथाओं एवं रूढ़ियों में जकड़े हुए थे। उनका यह सोचना था कि जो प्रथाएं उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही हैं उन्हें आगे बढ़ाना ही उनका परम् कर्तव्य था। इस प्रकार की सोच से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहता था।

सम्बद्ध साहित्य का सर्वेक्षण

आर.एन. सक्सैना ने विभिन्न विद्वानों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि बहुपति विवाह जौनसारियों में प्रचलन का कारण वहां की ऊसर भूमि और अरण्य भूभाग की कठिन आर्थिक परिस्थितियां हैं। अतः जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए और श्रम संगठन को बनाए रखने के लिए बहुपति विवाह प्रथा को विकसित किया गया। बहुपति विवाह पद्धति प्रारम्भिक आर्य , जो पश्चिमी हिमालय में आकर बसे थे में प्रचलित थी।

विदेशी यात्री एंड्रीऊ विलसन सन् 1875 में किन्नौर आया था। .."उनके अनुसार बहुपति प्रथा केवल किन्नौर में ही नहीं अपितु मध्य एशिया , चीन, तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, लंगा, ग्रेट ब्रिटेन , दक्षिण भारत में टोडा जनजाति, अमेरिका की कुछ जातियों में प्रचलित रही है। तिब्बत में इस प्रथा को जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अपनाया गया।"

आर.एच. डियूस्टर जो इस भू-भाग में सन् 1939 में आया था , के अनुसार- "बहुपति विवाह किन्नौर में ही नहीं अपितु सिराज , करसोग, टिहरी गढ़वाल, कोटगढ़, रोहडू तथा सिरमौर क्षेत्र में प्रचलित रहा है। बेगार प्रथा ने भी बहुपति प्रथा को बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया है तथा यदि भाई आपस में बंटवारा करना चाहें तो आज्ञा नहीं मिलती है।"

डॉ. वाई .एस. परमार का कहना है कि जिला कांगड़ा को छोड़ कर शेष सभी जिलों में बहुपति प्रथा प्रचलित रही है। प्रदेश के अन्य भागों से कांगड़ा की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी रही है। इस प्रथा का मूल कारण निर्धनता रहा है। इस प्रथा के कारण परिवार बंधे रहे , टूटे नहीं। जोतों के अपखंडन की समस्या का भी समाधान हुआ। श्री देवराज शर्मा के अनुसार , "इस प्रथा के समर्थकों का यह कहना है कि इससे जनसंख्या पर नियंत्रण तो होता ही है , साथ में भूमि का विभाजन भी नहीं होता।"

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

किन्नौर में कुछ वर्ष पहले तक भी बहुपति प्रथा का प्रचलन रहा है, यदि किसी घर में दो भाई हों उनमें से एक भाई फौजी हो और दूसरा बेरोजगार हो तो वहां पर इस प्रकार का विवाह कराया जाता था। क्योंकि लोगों का सोचना था कि फौजी का तो आधा जीवन देश की सेवा में निकल जाता है, देश पर संकट आने पर उसे लड़ाई में शहीद भी होना पड़ता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का दायित्व दूसरे भाई पर आ पड़ता है। इस प्रकार यह प्रथा उक्त उद्देश्य की पूर्ति करती है। इस विवाह से पैदा होने वाली संतान बड़े भाई के नाम दर्ज की जाती है। संतानें अपने कानूनी पिता को पिताजी तथा उसके अन्य भाईयों को गझले पिताजी या छोटे पिताजी बोलकर सम्बोधित करती हैं।

भारत की प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री डॉ. वाई .एस. परमार की पुस्तक 'हिमालय क्षेत्र में बहुपति विवाह ' का प्राक्कथन लिखते हुए कहा है कि बहुपति विवाह परिस्थितियों की अनभिज्ञता के कारण निंदा का विषय रहा है किन्तु डॉ. परमार ने सारगर्भित बात कही है कि किसी भी सामाजिक प्रथा का कारण आर्थिक होता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि सहज सामाजिक संस्थाओं का जन्म जीवन की मूलभूत आवश्यकता जीवित रहने और जीवन निर्वाह में समर्थ बनने के लिए होता है।

जौनसार भाबर निवासी इन बहुपति प्रथा समर्थक परिवारों को इसकी हानियां बताई जाएं तो वे तेवर बदल कर कहते हैं कि "यदि एक माता की गोदी में चार बच्चे खेल सकते हैं और समान स्नेह संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि एक पत्नी चार पतियों को सुखी संतुष्ट न रख सके।" बहुपति प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित रही है और इसके कई सामाजिक , आर्थिक और परम्परागत कारण भी रहे होंगे। शिक्षा का विकास न होने के कारण ही समाज में इस प्रकार के प्रथाओं का प्रचलन रहा होगा , समय के बदलाव के साथ इस प्रकार के प्रथाओं का खत्म हो जाना आवश्यक है क्योंकि आज गांव-गांव सड़कें बन गई हैं , स्कूल खुल गए हैं और आर्थिक सुधारों की बदौलत विकास का काम गांवों में भी होने लगा है जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगे हैं। आज की पीढ़ी इस बारे में सोचना तक नहीं चाहती है और परिवार का हरेक भाई विवाह करता है और फिर औरों जैसा वैवाहिक जीवन जीता है। इस परम्परा के पक्ष में कुछ भी कारण गिनाए जाते रहे हों , मगर यह परम्परा स्त्री को पुरुष की सम्पति समझने का ही एक भयावह रूप है। इस प्रथा के विरुद्ध लड़कियों को ही आगे आना होगा। बिना यह सोच कर कि अगर सब चुप हैं तो मैं अकेली क्यों खड़ी हो जाऊं क्योंकि किसी न किसी को तो इसके विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी तो वह आवाज आज ही क्यों न उठाई जाए ताकि जहां-जहां भी यह प्रथा प्रचलित थी वह जड़ से ही खत्म हो जाए।

निष्कर्ष

वर्तमान काल में किन्नौर वासियों के सोच में बदलाव आ रहा है। अब वह इस प्रथा को बुरा मानने लगे हैं। शिक्षा का बहुत योगदान रहा है। लोगों की सोच बदलने में लोग गांव से निकल कर शहरों में रहने लगे हैं। जीविका कमाने के लिए भी लोग गांवों से शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। संयुक्त परिवार को छोड़कर एकल परिवार को अपना रहे हैं। आज अगर इस तरह का विवाह होता भी है तो वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता क्योंकि आज के समय में भाई-भाई में तालमेल देखने को नहीं मिलता। आज आपस

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

में ईर्ष्या भाव रखते हैं। इसलिए भी यह प्रथा लगभग खत्म हो गई है। बहुपति प्रथा का प्रभाव बच्चों में भी देखने को मिलता है। आज के बच्चे शिक्षित हैं। वह अपने अधिकारों को भली प्रकार समझते हैं। वह यह जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आज वह इस प्रथा को लेकर अपने माता-पिता से सवाल करते हैं और उसका जबाव भी चाहते हैं। क्योंकि इस प्रथा की वजह से उन्हें अपने दोस्तों के आगे शर्म महसूस होती है। लोग अब बहुपति विवाह को बुराई की नजर से देख रहे हैं। आज के समय में लड़कियां भी शिक्षित होने के कारण वे भी अब बहुपति प्रथा में रहना पसन्द नहीं कर रहीं। क्योंकि वे भी अब आत्मनिर्भर होने लगी हैं। वे किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है और उनके साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दूसरा , अब वे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरुक हैं।

आज के समय में किन्नौर में लोग इतने जागरुक हो गए हैं कि अब महिलाओं को भी अपना वर चुनने में पूरी आजादी है। जहां पहले माता-पिता तथा रिश्तेदारों द्वारा वर चुना जाता था उनका फैसला ही आखिरी माना जाता था। आज के समय में लड़की के पसन्द से ही उसका विवाह किया जाता है। इसलि आज यह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है।

संदर्भ ग्रन्थ

1.बलोखरा, जगमोहनः अलौकिक हिमाचल प्रदेश , एच.जी. प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन 2015, पृष्ठ 148

2. वही, पृष्ठ 148

3.सिंह, मियां गोवर्धन , गुप्त, चमनलाल (प्रो .), हिमाचल प्रदे श का इतिहास , संस्कृति और आर्थिक परिवेश, मिनर्वा बुक हाउस, शिमला, द्वितीय संस्करण 2014, पृष्ठ 195

4. नेगी, डी.एस. गोलदारः किन्नौर आदिवासिक संस्कृति के आर्थिक आधार , सतलुज प्रकाशन , पंचकुला, प्रथम संस्करण 2014, पृष्ठ 214, 315

5. वही, पृष्ठ 315

6. वही, पृष्ठ 314

7. शर्मा, देवराजः हिमाचल प्रदेश (भौगोलिक , ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवम् आर्थिक), जगत प्रकाशन, बिलासपुर, तृतीय संस्करण 1997